य उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
न अधिकारी:—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
नम्बरः—183/2018 प्रार्थना पत्र
जानू पत्नि देबीलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी गुवारड़ी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
ान) ————प्रार्थिया

बनाम

भैरूलाल पिता मोहनलाल दरोगा, उम्र बालिग निवासी बांसड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
रतनलाल पिता माधूलाल दरोगा, उम्र बालिग निवासी बांसड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
छगनलाल पिता हुक्मीचन्द्र शर्मा, उम्र बालिग निवासी बासंड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा तहसील
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—8.2.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—
अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बांसड़ा
हल्का बांसडा भू—अभिलेख निरीक्षक पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी
222 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित
ायात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के
आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे
की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का
पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.7.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये
विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल
ी किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 3 उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 को कितनी ही
विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 24.8.2018 को
रफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 4 के सम्मन बाद तामिल
हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 4 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 4 को
ी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 4.2.
को एक तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक
बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व
काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल
समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं
काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में
म रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम बांसड़ा पटवार हल्का बांसडा, भू–अभिलेख निरीक्षक पांसल तहसील व भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 222 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख क, पांसल को 900/–रूपये (नौ सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता मिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की ी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा